न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 85 सन् 2022
कम्प्यूटर नम्बर : 94/2022
फरहाना बनाम् उत्तराखण्ड राज्य

सत्र परीक्षण संख्या– 61/2020
मुकदमा अपराध संख्या : 708/2019
धारा : 304बी, 302/34, 498ए, 323 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना : लक्सर, जिला हरिद्वार।

अधिवक्ता अभियुक्ता : श्री धीरेन्द्र पाल सिंह एवं श्री जुबैर अहमद।
सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रूड़की : श्री राजकुमार सिह।
अधिवक्ता वादी : श्री रियाज अहमद।

दिनांक : 22.07.2022

प्रार्थीया/अभियुक्ता फरहाना पत्नी जाहूल उर्फ जियाउल निवासी ग्राम खेड़ीखुर्द थाना लक्सर, जिला हरिद्वार की ओर से उसके विदान अधिवक्ता के द्वारा वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 708 सन् 2019 धारा 304बी, 302/34, 498ए, 323 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना लक्सर जिला हरिद्वार में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विदान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रूड़की जिला हरिद्वार को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्ता पर, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री रूबीना को शादी में कम दहेज लाने के ताने एवं दहेज में बुलेट मोटर साईकिल की मांग किये जाने तथा यह मांग पूरी ना होने पर दिनांक 20–10–2019 को लगभग 11 बजे दिन वादी मुकदमा की पुत्री रूबीना के गले में फांसी लगाकर उसकी हत्या करने का आरोप है।

अभियुक्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता का कथित घटनास्थल से अलग घेर में पति के साथ निवास करती है तथा खाना, रहन सहन कथित मृतका से अलग चला आ रहा था। कथित मृतका के कोई सन्तान नहीं थी और वह अपने पति के नाक व आंख में कमी होने के कारण पसन्द नहीं करती थी तथा छोटी–छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। अभियोजन कथानक व चिकित्सीय साक्ष्य आपस में विरोधाभाषी है। राय पंचान में मृतका द्वारा फांसी लगाने के संबंध में मृत्यु का कारण अंकित है। पंचनामे के समय मौके पर होते हुए भी कोई तहरीर या शिकायत

मृतका से दहेज मांगने या उसकी हत्या करने के संबंध में नहीं दी गयी। मृतका की बहन समीना पी0डब्लू0–4 ने पुलिस एवं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा मृतका द्वारा आत्महत्या कर देने की बाबत इशा पुत्र मशरूब, मुस्तकीम पुत्र तैमूर, मशरूर पुत्र हबीब, बुन्दू पुत्र शरीफ, राव तसव्वर पुत्र मंजूर हसन, अरशद पुत्र जहूर आदि के बयान दर्ज किये गये, जिनके आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता की कोई संलिप्तता नहीं पायी गयी। उक्त सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष द्वारा कथित घ ाटना के चार साक्षी विद्वान अवर न्यायालय में परीक्षित कराये जा चुके हैं। प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना शेष नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के पौने दो वर्ष का पुत्र अरहान है, जेन में रहने से उसका जीवन अन्धकारमय हो जाये तथा बच्चे के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थिया/अभियुक्ता धाना 437 द0प्र0सं0 का लाभ पाने की भी अधिकारिणी है। प्रार्थिया/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में अभियुक्ता को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जमानत का कोई उचित आधार नहीं है। याचना की गयी कि अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि अभियुक्ता फरहाना को न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांकित 02–04–2022 से धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत धारा 304बी, 302/34, 498ए, 323 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में सह–अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये साक्षीगण क्रमशः पी0डब्लू0–1 ता पी0डब्लू0–4 के द्वारा मृतका रूबीना के ससुराल वालों के द्वारा मृतका से दहेज की मांग करने एवं मृतका को कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित एवं मारपीट करने का अभिकथन अपने साक्ष्य में किया है। पी0डब्लू0–4 शमीना जो मृतका की बहन है, जिसका विवाह मृतका के देवर सहअभियुक्त राशिद के साथ हुआ था, के द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्ता फरहाना एवं अन्य अभियुक्तगण के द्वारा उसकी बहन रूबीना से घटना के दिन मारपीट करने का कथन किया है। पी0डब्लू0–4 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण ने रूबीना के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। पी0डब्लू0–4 के द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्ता फरहाना एवं इमराना ने मृतका के हाथ पकड़ रखे थे और जियाउल व इरशाद ने पैर

पकड़ रखे थे तथा राशिद व आजम ने गला दबा रखा था। पी0डब्लू0–4 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि फांसी लगाने के बाद मृतका को उपर लटका दिया था तथा मृत्यु होने के उपरान्त मृतका को नीचे घसीट कर लाये थे। पी0डब्लू0–4 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसे भी मारने की कोशिश की गयी थी, परन्तु उसने कमरे के अन्दर जाकर कुण्डी लगाकर अपनी जान बचायी थी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि न्यायालय के द्वारा जारी समन एवं उसके बाद जमानतीय अधिपत्र जारी करने के बाद भी अभियुक्ता फरहाना न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और जब न्यायालय के द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये, तब जाकर अभियुक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। मामले में दो अभियुक्तगण जिनमें से एक अभियुक्ता का पति जियाउल भी है, फरार चल रहे हैं। अभियुक्ता फरहाना पर लगाये गये आरोप अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति के हैं। जिनमें सजा के रूप में मृत्युदण्ड का प्रावधान भी है। यदि इस स्तर पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा गवाहों को डराने–धमकाने एवं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता फरहाना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिया/अभियुक्ता फरहाना पत्नी जियाउल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अविलम्ब अभियुक्ता को बजरिये संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से तत्काल निःशुल्क प्रेषित की जाये।

आदेश एन0जे0डी0जी0 पर अपलोड किया जाये।

(विक्रम)
प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश,
रूड़की, जिला हरिद्वार।